UNIVERSITY OF RAJASTHAN राजस्थान विश्वविद्यालय

RULES FOR THE GUIDANCE OF CANDIDATES OF 2019 EXAMINATIONS

वर्ष 2019 के परीक्षार्थियों के लिये निर्देशक नियम

- 1. The order in which the question-papers for each examination are ordinarily given, can be found in the programmes of examinations issued separately.
 - प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के क्रम की सूचना परीक्षा-कार्यक्रम में अंकित होगी जो पृथक से जारी किया गया है।
- 2. Candidates should read the question-papers very carefully before they begin to write their answers.
 - परीक्षार्थियों को चाहिए कि उत्तर लिखना प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्न-पत्र भली भाँति पढ़ लें।
- 3. The doors will open half an hour before the time of examination on the first day and 15 minutes before on subsequent days and close punctually on each day at the hour of the commencement of the examination, after which no candidate will be admitted. Candidates should assemble in the Examination Hall at least ten minutes before the commencement of the examination. On certain days there will be two/three sessions (morning, noon and afternoon).
 - (a) The candidates will be given only the Main Answer-book to write the answers of objective and descriptive questions. No supplementary answer-book will be given to any candidate.
 - (b) There will be only Multiple choice type Question (MCQS) in the paper of Environmental Studies of B.A./B.Com./B.Sc. Pt. I Examination. The candidates will be required to give their answers in the OMR Answer-sheet given to them separately.
 - (c) Answers of all the questions (objective as well as descriptive) are to be given in the main answer—book only. Answers of objective type questions must be given in sequential order. Similarly all the parts of one question of descriptive part should be answered at one place in the answer—book. One Complete question should not be answered at different places in the answer—book
 - (d) Candidates will be required to hand-over their answer—books as soon as the time of the examination is over. They should not leave the examination room without handing over their answer-books to the invigilator incharge.
 - (e) The facility of Scribe/Reader/Lab Assistant should be allowed and one hour compensatory time be given to any person who has disability of 40% or more if so desired by the person.
 - परीक्षा के प्रथम दिन परीक्षा—भवन के द्वार आधा घण्टा तथा अन्य दिनों 15 मिनट पूर्व खुलेंगे तथा परीक्षा शरू होने के समय पर बन्द हो जायेंगे जिसके बाद किसी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम 10 मिनट पहले परीक्षा—भवन में एकत्र हो जाना चाहिये। किन्हीं दिनों परीक्षा के दो/तीन सत्र (सवेरे, मध्यान्ह व अपरान्ह) हो सकते हैं।
 - (अ) परीक्षार्थियों को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मुख्य उत्तर—पुस्तिका में ही देने होंगे। किसी भी परीक्षार्थी को पूरक उत्तर—पुस्तिका नहीं दी जायेगी।
 - (ब) बी.ए. / बी.कॉम. / बी.एस.सी. पार्ट-प्रथम की परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन में केवल बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न पूछे जायेंगे। जिनका उत्तर परीक्षार्थी को अलग से दी गई ओ.एम.आर. उत्तर-शीट में देना होगा।
 - (स) सभी (वस्तुनिष्ठ तथा वर्णनात्मक) प्रश्नों के उत्तर मुख्य उत्तर—पुस्तिका में ही लिखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के क्रमानुसार ही देवें। इसी प्रकार किसी भी एक वर्णनात्मक प्रश्न के अन्तर्गत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर उत्तर—पुस्तिका में अलग—अलग स्थानों पर हल करने के बजाय एक ही स्थान पर क्रमानुसार हल करें।
 - (द) परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है कि परीक्षा—समय समाप्त होते ही वे अपनी उत्तर—पुस्तिकाएं दे दें। अपनी उत्तर—पुस्तिका निरीक्षक इन्चार्ज को सौंपे बिना उन्हें परीक्षा—भवन से बाहर नहीं जाना चाहिए।
 - (इ) ऐसे परीक्षार्थी जो 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक निशक्त है, उन्हें लेखक, पाठक एवं प्रयोगशाला सहायक की सुविधा के साथ परीक्षा में प्रश्न-पत्र उत्तरित करने के लिए एक घण्टे का क्षतिपूर्ति समय दिया जायेगा।
- 4. A seat marked with his roll number will be allotted to each candidate and a book for writing answers will be found on his desk. Candidates will be required to find their seats for themselves.
 - प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए उसके रोल नम्बर की अंकित सीट निश्चित होगी तथा उत्तर-पुस्तिका डैस्क पर मिलेगी। परीक्षार्थियों को अपना नियत स्थान स्वयं खोजना चाहिये।
- 5. Candidates should note very carefully that, except for the Admission Card issued by the University, they should not bring with them in the Examination Hall mobile or any paper or note-book or notes etc. or any other article containing hints which are likely to prove helpful in answering the questions. If any such material is recovered from their possession, it shall tentamount to using unfair means in the examination and will be dealt with under. O.152 and no excuses of any kind shall be entertained in this regard. Candidates found talking or indulging in other activities treated as undesirable or objectionable by the Centre Superintendent will also be dealt with accordingly.
 - परीक्षार्थियों को यह भली—माँति जान लेना चाहिए कि वे अपने साथ कोई मोबाईल / कागज / कापी / टिप्पणी अथवा अन्य कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें संकेत हो, जो कि प्रश्नों को उत्तरित करने में सहायक सिद्ध हो सकती हों, परीक्षा भवन में न लावें। उन्हें केवल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र ही साथ रखना चाहिए। यदि उनके पास ऐसी कोई भी सामग्री पाई गई तो उसे परीक्षा में अनुचित तरीकों का प्रयोग समझा जायेगा तथा उस पर अध्यादेश 152 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यदि परीक्षार्थी बात करते हुए अथवा कोई अन्य अवांछनीय या ऐतराज योग्य कार्यवाही करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध तदनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
 - 5 (a) Candidates should be prepared/produce themselves for giving their search physically, to the supervisory staff/Internal Flying Squad/University Flying Squad, or any person authorised by the University or the Centre Superintendent, if they are asked to do so during the examination.
 - परीक्षा के दौरान वीक्षक, कालेज / विश्वविद्यालय उड़नदस्ता अथवा विश्वविद्यालय तथा केन्द्राधीक्षक द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति द्वारा तलाशी देने के लिये कहने पर परीक्षार्थी को तलाशी देने से इन्कार नहीं करना चाहिये।

- Answers must be written on both sides of the leaf. No portion of the answer-book provided should be torn off or folded. If a candidate wishes to cancel any part of his answer, he may do so by drawing distinct lines across it.
 - पृष्ठ के दोनों ओर उत्तर लिखे जाने चाहिए। दी गई उत्तर—पुस्तिका का कोई भाग न फाड़ा जाना चाहिए और न मोड़ा जाना चाहिए। यदि परीक्षार्थी अपने उत्तर के किसी भी भाग को रद्द करना चाहता है तो यह वह ऐसा साफ क्रास लाईन खींचकर कर सकता है।
- 7. Candidates should note carefully and comply with the requirement of answering questions in two separate answer-books, wherever laid down. If they fail to do so, questions of only relevant section shall be examined and those of the irrelevant section treated as cancelled. They should therefore write answers of the questions of Section A in the answer-book of Section A, and the answers of the questions of Section B in the answer-book of Section B.
 - जहाँ भी प्रश्नों के उत्तर दो पृथक उत्तर—पुस्तिकाओं पर उत्तरित किए जाने हों वह परीक्षार्थियों को भली—भांति जान लेना चाहिए तथा उसका अनुपालन करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो सम्बन्धित भाग के ही प्रश्न परीक्षित किए जायेंगे तथा दूसरे भाग के रद्द समझे जायेंगे। परीक्षार्थियों को उत्तर—पुस्तिका पर लिखे खण्ड 'अ' तथा खण्ड 'ब' अनुसार उस भाग से संबंधित प्रश्नों को उसी खण्ड की उत्तरपुस्तिका में हल करने चाहिए।
- 8. No other medium except English, Hindi or Sanskrit (whichever permissible) is allowed for answering question-papers. प्रश्नोत्तर के लिये हिन्दी, अंग्रेजी या संस्कृत माध्यम (जो भी स्वीकृत है) के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम की स्वीकृति नहीं हैं।
- 9. Candidates will be penalised to the extent of one mark per question if they do not number their answers correctly. परीक्षार्थी यदि अपने उत्तर संख्या सही अंकित नहीं करते हैं तो प्रत्येक प्रश्न पर एक नम्बर के हिसाब से दंडित होंगे।
- 10. Candidates should write their Roll Numbers and other particulars required of them correctly on the cover of the answer-book. The Roll Numbers should be written in English and in figures as well as in words. Writing of Roll Number else where or giving any other mark of identification any where else will be treated as use of unfairmeans.

 परीक्षार्थियों को उत्तर—पुस्तिका के कवर पर अपना रोल नम्बर तथा अन्य अपेक्षित विवरण सही लिखना चाहिए। रोल नम्बर अंग्रेजी में अंको तथा शब्दो में ही लिखना चाहिए। निश्चित स्थान के अलावा अन्यत्र स्थान पर अनुक्रमांक लिखना अथवा पहचान चिन्ह लगाना, परीक्षाओं में
- 11. <u>Candidates should not write their names, nor should they sign anywhere on the covers or inside the answer-books.</u>

 <u>परीक्षार्थियों को उत्तर—पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठों अथवा भीतर अपना नाम नहीं लिखना चाहिए और न ही कहीं अपने हस्ताक्षर करने चाहिए।</u>
- 12. Candidates are required to use their own pen. Graphs and Drawing papers etc. will be supplied to the candidates by the Centre Superintendent, if required by the examiners for answering a particular question in a particular paper.

 सभी परीक्षार्थियों को स्वयं की लेखनी काम में लानी होगी। ग्राफ तथा ड्राइंग—पेपर वगैरह यदि परीक्षक द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न—पत्र के किसी विशिष्ट प्रश्न को उत्तरित करने के लिए चाहे गये है, तो वे केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिये जायेंगे।
- 13. Candidates must obey all instructions they receive from the Superintendent of the Centre. परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा दिये गये समस्त निदेशों का अनुपालन परीक्षार्थियों को करना चाहिए।
- 14. Candidates must show their Admission Cards when demanded. परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र मांगे जाने पर दिखाने चाहिये।
- 15. Smoking and other intoxicants are strictly prohibited in the Examination Hall.
 - परीक्षा भवन में धुम्रपान अथवा अन्य मादक प्रयोग वर्जित है।

अनुचित साधनों का प्रयोग माना जावेगा।

- 16. Where a candidates changes ink while he is answering a paper, he should bring this fact of the notice of the invigilator on duty who will record this fact at the appropriate place and affix the Controller of Examinations facsimile stamp.

 यदि कोई परीक्षार्थी प्रश्न पत्र उत्तरित करते हुए स्याही बदलता है तो उसे यह तथ्य निरीक्षक की जानकारी में लाना चाहिए जो कि निश्चित स्थान पर इस तथ्य को अंकित कर परीक्षा नियन्त्रक की हस्ताक्षर सील मुद्रित करेगा।
- 17. Candidates should note carefully that it shall be deemed an offence amounting to cheating if they write answer to the same question more than once.
 - परीक्षार्थियों को यह भली—भांति जान लेना चाहिए कि यदि वे किसी प्रश्न के उत्तर एक बार से अधिक लिखते हैं तो यह अपराध धोखादेही के समान समझा जायेगा।
- Candidates must cross all the blank pages of answer-books, after completely his answers.
 परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने के पश्चात् शेष बचे रिक्त पृथ्ठों पर क्रास करें।
- 19. No candidate should leave any page blank in between any two answers in the answer-book. If a page or two are inadvertently left blank, the letters "P.T.O." must invariably be written on that page or pages for the guidance of the examiner.

 परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका में दो उत्तरों के बीच कोई पृष्ठ खाली न छोड़ें। यदि भूल से एक या दो पृष्ठ छूट जाते हैं तो "कृ.पृ.उ." प्रत्येक पृष्ठ पर परीक्षक के निर्देश के लिए अवश्य लिखें।

JAIPUR